

16/11/20 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र. 11 का राज्य कार्य में व्यस्त/ दोरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 28-11 को पेश हो।

21/11 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र. 11 का राज्य कार्य में व्यस्त/ दोरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 23-11 को पेश हो।

23/11 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगित/प्र. 11 का राज्य कार्य में व्यस्त/ दोरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 9-10-20 को पेश हो।

9/10 पत्रावली पेशी करीब डकनमपट्टी ऑफ़ यूनियन में दि. 9.11.20 को पेश हो।

9/11 पत्रावली 07R11 प्र. 11 पर कलस हेतु पेश हुई। उभयपक्ष की कलस सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली 20.11.20 को पेश हो।

20/11 पत्रावली प्र. 11 पर निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभयपक्ष की कलस के तथ्यों पर गौर किया गया। ~~इस~~ उद्योगों वाद का आधार 6-5-87 की लिखित समझौता है समझौते प्र. आवंटि गंगाधर व वादीगण के विरुद्ध प्रभाषा के बीच गंगाधर का आवंटित भूमी के सहकारी क्लबारे के आधार पर है। आवंटित भूमी स्व अर्जित सम्पत्ति होने के कारण कोई भी समझौते का क्रियान्वयन उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत डीउ डका ही किया जाना सम्भव है। अतः वादीगण समझौते प्र. के आधार पंजीकृत डीउ हेतु स्वयं हैं। वाद वादीगण विद्युत उपदानों के अनुक्रम नहीं होने के कारण उद्योग प्र. 07R11 (क्रियार किया जाना इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दि. 20.11.20 को जूरी न्यायालय में सुनाया गया।

Dr
(रजनीत सिंह)
20.11.20

